उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-139/2017/1388/92-2-17-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री एन0के0 त्रिपाठी द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ) जॉच में की गयी अनियमितताओ के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 3,814.00 के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-138/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में पत्र दिनांक 28.03.2016, 29.07.2016 एवं 10.03.2017 द्वारा अनुस्मरण कराया गया परन्तु श्री त्रिपाठी द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में प्रस्तुत नही किया गया। श्री त्रिपाठी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

2- अतएव श्री त्रिपाठी के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-138/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस को उनके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-139/2017/1388/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री एन0के0 त्रिपाठी तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in